न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

राजस्व वाद संख्या 17 / 2018

श्री रामकरण पुत्र हरनाथ जाति धाकड़ निवासी पीपरोली धाकड़ान तहसील सरवाड़ जिला अजमेर

– वादी

बनाम

1. श्री चतुर्भुज पुत्र भूरा जाति धाकड़.
2. श्रीमती सोदरा पत्नी चतुर्भुज जाति धाकड़
3. श्री बालू पुत्र श्योकिशन जाति धाकड़
4. श्री सीताराम पुत्र श्योकिशन जाति धाकड़
5. श्री कजोड़ पुत्र श्योकिशन जाति धाकड़
6. श्रीमती ग्यारसी पत्नी श्योकिशन जाति धाकड़
7. श्रीमती मथुरा पत्नी बालू जाति धाकड़
8. श्री कजोड़ पुत्र बरदा जाति धाकड़
9. श्रीमती हगामी पत्नी बरदा जाति धाकड़
10. छोटी बेवा सूरजमल जाति धाकड़
11. श्री रामकिशन पुत्र सूरजमल जाति धाकड़
12. श्री शिवकरण पुत्र सूरजमल जाति धाकड़
13. श्री सीताराम पुत्र सूरजमल जाति धाकड़
14. श्री छीतर पुत्र माधु जाति धाकड़

समस्त निवासीगण पीपरोली धाकड़ान तहसील सरवाड़

15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़

– प्रतिवादी

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील 1. श्री N.C. Jain/O.P. Chaudhary प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 04.11.2019

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र वाके ग्राम पीपरोल धाकड़ान तहसील सरवाड़ के ख. नं. 222 रकबा 1 हैक्ट. किस्म गै.मु. चाह व 223 रकबा 0.53 हैक्ट. किस्म नहरी 2 है। उक्त आराजीयात वादी के खातेदारी में है। उक्त आराजी पर आने जाने का एकमात्र रास्ता पीपरोल से सुनारिया जाने वाले रास्ते में होकर ख. नं. 197 में से होकर ख. नं. 207 व 206 की उत्तरी मेड पर से होकर ख. नं. 225 व 224 में से प्रार्थी की आराजी में कदीमी रास्ता है। प्रार्थी की आराजी ख. नं. 223 के लगवा ही ख. नं. 222 में चाह बना हुआ है। जिस पर उक्त रास्ते से होकर पूर्वजों के समय से ही प्रार्थी आता–जाता रहा

है। ख. नं. 225 व 224 की पश्चिमी मेड से ही अपनी खातेदारी की आराजीयात में आता–जाता है। जिसमें आने–जाने का कदीमी रास्ता एकमात्र उक्त ख. नं. में से ही है। अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की खातेदारी में आने–जाने का नहीं है। प्रतिवादीगण की नियत बद है तथा प्रतिवादीगण नाजायज व अनाधिकृत तरीके से नियम एवं कानून के विरूद्ध जाकर प्रार्थी की खातेदारी में आने–जाने के एकमात्र कदीमी रास्ते की भूमि पर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर रास्ता अवरूद्ध करना चाहते है। जिसका प्रतिवादी का किसी प्रकार से विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण दिनांक 25.05.2018 को प्रार्थी की खातेदारी में आने–जाने के एकमात्र कदीमी रास्ता ख. नं. 225 व 224 की पश्चिमी मेड पर कांटो की बाड लगाकर उक्त कदीमी रास्ते को अवरूद्ध कर दिया। जब प्रार्थी ने कदीमी रास्ते को खुलासा करने हेतु प्रतिवादीगण को निवेदन किया तो प्रतिवादीगण लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो गये और ऐलानिया कहा कि उक्त कदीमी रास्ता हमारे खातेदारी की आराजीयात मे से है। हम उक्त रास्ते की भूमि को अपनी आराजी में मिलाकर तेरा रास्त अवरूद्ध करेगें तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते। जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि यदि आपने उक्त कदीमी रास्ते को अपनी आराजी में मिला दिया तो मेरी खातेदारी की आराजी में आने–जाने का एकमात्र रास्त ही अवरूद्ध हो जायेगा तब वाद कारण उत्पन्न हुआ। इसलिए श्रीमान के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी की आराजी में आने–जाने के एकमात्र रास्ते ख. नं. 225 व 224 की पश्चिमी मेड पर से होकर निकलता है उसे अवरूद्ध कर दिया जाता है तो प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजीयात में फसल काश्त नहीं कर सकेगा और ना ही अपने चाह का उपयोग उपभोग कर सकेगा। इसलिए प्रतिवादीगण को इस आशय से पाबंद किया जावे की प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात में आने–जाने के एकमात्र रास्ते पर किसी प्रकार का अतिक्रमण कर रास्ते का अवरूद्ध नहीं करे। यह है कि वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है और अंदर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादपत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि प्रार्थी की खातेदारी पर आने–जाने के लिए बने कदीमी रास्ता ख. नं. 225 व 224 की पश्चिमी मेड पर किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करे ना ही उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न करे। पक्षान्तर माननीय न्यायालय में निर्णय पर पहुंचने पर डीएलसी दर व भूमि के बदले भूमि के आधार पर रास्त प्रतिवादीगण से दिलाया जाकर भूमि की कीमत वादी से ली जाकर प्रतिवादीगण को दिलवायी जाने व राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता नक्शें में तरमीम किया जाने का निवेदन वादी द्वारा किया गया है।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1, 3, 5, 11 ने न्यायालय में उपस्थित होकर ख. नं. 224 व 225 में रास्ता होने से इंकार किया गया। जिस पर मौके की रिपोर्ट गिरदावर से प्राप्त की गयी। काफी समय दिये जाने के उपरांत प्रतिवादीगण द्वारा लिखित में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया जिस पर जवाब प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 14 बंद किया गया। भू0अ0नि. हिंगोनियां ने मौका रिपोर्ट दिनांक 19.11.2018 को पेश की गयी। जिसके अनुसार पीपरोली के ख. नं. 223 पर जाने के लिए वर्तमान में खसरा नं. 155 जो चरागाह है तथा ख. नं. 197, 203, 204 तथा 206 के मध्य से जा रहा है जो नक्शा ट्रेस में । से ठ से ड तक रास्ता खुला है तथा सभी ग्रामवासी

वर्तमान में खेत मे से आ जा रहे है। परंतु ख. नं. 223 के खातेदार भी बिन्दु संख्या ब तक तो आ रहा है। ख. नं. 225 व 224 में से 12 फीट रास्ता वादी चाहता है। वर्तमान में ख. नं. 224 जमाबंदी के खाते में गै.मु. चाह है। परंतु मौके पर कुआ (चाह) नहीं है। ख. नं. 206 का मौके पर खातेदार का कहना है कि उसने अपने खेत के उत्तरी भाग मे से रास्ता दे दिया है पर आगे जाने के लिए ख. नं. 225 में रास्ता दिया जाना उचित है। ख. नं. 223 में जाने के लिए कोई और वैकल्पिक मार्ग नहीं है।

वकील बहस सुनी गयी एवं बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सरवाड़ को मौके पर ख. नं. 224 व 225 के पश्चिमी किनारे पर 12 फीट रास्ते के क्षेत्रफल की गणना कर डीएलसी दर की दुगुनी राशि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को भुगतान कराते हुये 12 फीट रास्ता का रिकॉर्ड व राजस्व नक्शें में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सरवाड़ उक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चत करे। यदि खातेदार उक्त आंकलन की गयी राशि वादी से प्राप्त नहीं करते है तो उक्त राशि राजकोष में जमा करवाई जाक रास्ता रिकार्ड राजस्व नक्शे में इन्द्राज किया जाए।

आदेश आज दिनांक 04.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2019.12.05 14:40:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: